आवश्यक/तत्काल

संख्या:31/2021/1176/1363531/12-2099/85/2021

प्रेषक

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 09 जून, 2021

विषय- फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-39/2019/2882/12-2-2019-14-2016 दिनांक 04 अक्टूबर, 2019, शासनादेश संख्या-42/2019/2997/12-2-19-14/2016 दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 तथा शासनादेश संख्या: 1760/12-2-2020-14/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासन स्तर एवं जनपद स्तर पर एक सेल का गठन करते हुये प्रत्येक दिन की घटनाओं का अनुश्रवण किये जाने एवं प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपाल को प्रत्येक दशा मे अपने से सम्बन्धित क्षेत्र में पराली/कृषि अपशिष्ट जलाने की घटना को रोके जाने हेतु कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि जन-सामान्य के मध्य पराली जलाने से मिट्टी, जलवायु एवं मानव स्वास्थ्य को होने वाली हानि से अवगत कराने एवं जिन लोगों द्वारा पराली जलाये जाने की घटना सामने आती है, उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किए गये हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-13029/1985 एम0सी0मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओरिजिनल अप्लीकेशन नं0-666/2018 श्रीमती गंगा लालवानी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम अनिवार्य है।

3. भारत सरकार के अध्यादेश दिनांक 13 अप्रैल, 2021 द्वारा डा0 एम0 एम0 कुट्टी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग का गठन किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार पराली दहन को समाप्त करने हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नेशनल कैपिटल रीजन व सहवर्ती क्षेत्रों का कम्प्रेहेन्सिव एक्शन प्लान तैयार कर भेजा गया है जिसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है।

4. आगामी माहों में खरीफ फसलों (धान, मक्का, उड़द आदि) की कटाई के पश्चात पराली जलाये जाने की सम्भावना के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्नलिखित कदम प्राथमिकता पर उठाये जायें:-

5. **<u>इन-सीटू योजनान्तर्गत यंत्र वितरण-</u>**

भारत सरकार द्वारा संचालित फसल अवशेष प्रबन्धन की योजना अन्तर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए 14 प्रकार के यंत्र चिन्हित किये गये हैं। कृषकों को यह यंत्र उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत् व्यवस्थायें बनायी गयी हैं:-

(i) व्यक्तिगत कृषकों को कृषि यन्त्र तथा एफ0पी0ओ0 एवं पंजीकृत कृषक समितियों द्वारा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जानी है।

(ii) व्यक्तिगत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा एफ0पी0ओ0 एवं पंजीकृत कृषक समितियों को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान पर यंत्र विभागीय पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी एवं यंत्रों का चयन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

(iii) चयन की प्रक्रिया समयान्तर्गत पूर्ण करते हुए 30 सितम्बर, 2021 तक यंत्रों का क्रय सुनिश्चित किया जाना है। तद्नुसार जनपद स्तर पर समीक्षा कर यंत्रों के क्रय का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति कराना सुनिश्चित किया जाना है।

(iv) सहकारी समिति/गन्ना समिति/पंचायतों/उद्यानिकी समितियों के माध्यम से रू0 5.00 लाख तक के फसल अवशेष प्रबन्धन के कृषि यंत्र 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना।

उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1633/12-2-2020-14/2016, दिनांक 13 अगस्त, 2020 द्वारा व्यवस्था दी गयी है।

(v) इस संदर्भ में यह अपेक्षा है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक तत्काल आयोजित कर सहकारी समिति/गन्ना समिति/पंचायतों/ उद्यानिकी समितियों के चयन का कार्य शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय, जिससे माह जून में ही कृषि निदेशालय में सूचना उपलब्ध हो सके एवं चयनित संस्थाओं के द्वारा अपने अंश के रू0 1.00 लाख की व्यवस्था के उपरान्त कृषि निदेशालय स्तर से दी जाने वाली रू0 4.00 लाख की धनराशि हस्तांतरित की जा सके।

(vi) सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा भी यंत्रों का क्रय 30 सितम्बर, 2021 तक सुनिश्चित किया जाना है।

(vii) इन संस्थाओं द्वारा क्रय किये गये यंत्रों को बाजार दर से कम, उचित किराये पर अपने कार्यक्षेत्र के किसानों को फसल अवशेष प्रबन्धन कार्य हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. **आई0ई0सी0 (प्रचार प्रसार) के कार्य-**

(i) कृषकों को जागरूक बनाने के लिए इन्फार्मेशन एजूकेशन कम्युनिकेशन (आई0ई0सी0) एक्टिवीटी सम्मिलित की जाय एवं कृषकों से सम्बन्धित हर विभाग के कार्यक्रम में इनका समावेश हो।

(ii) जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाली गोष्ठियों को प्रारम्भ कर दिया जाय तथा फसल अवशेष जलाने से मिट्टी, जलवायु व मानव स्वास्थ्य को होने वाली हानि के विषय में अवगत कराया जाय।

(iii) पराली जलाने की घटना के सम्बन्ध में विधिक प्राविधानों से सभी को अवगत कराया जाय।

(iv) मुख्यालय स्तर पर कृषकों की बात वैज्ञानिकों के साथ वार्ता में कृषकों को फसल अवशेष जलाने के सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है। निकट भविष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रसार कार्यक्रमों में भी कृषकों को पराली जलाने की घटना की रोकथाम एवं इससे हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में अवगत कराया जाका

(v) फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए न्याय पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर तथा राज्य स्तर पर गोष्ठी के आयोजन, लिफलेट्स, पर्मानेन्ट होर्डिंग्स, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो जिंगलस, दूरदर्शन पर आडियो-वीडियो किल्प्स तथा किसानों के खेतों में प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण तथा स्कूल/कालेजों में निबंध लेखन व वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन व स्काउट गाइड, एन0एस0एस0 एवं एन0सी0सी0 संगठनों का सहयोग भी जन जागरूकता हेतु प्राप्त किए जाने के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष को जलाने से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराना है। यह भी जागरूकता फैलाना है कि पराली न जलाने से भूमि एवं पर्यावरण में सुधार होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी तथा फसल अवशेष न जलाने से जो जैविक पदार्थ खेतों में मिलेंगे उससे खेतों में जीवांश पदार्थ की बढ़ोत्तरी होगी।

7. पराली का इन-सीटू प्रबंधन:

(i) धान की कटाई के समय कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस0एम0एस0) लगाये जायें अथवा कटाई के बाद फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों जैसे- सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्राचापर, स्रेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबुल एम0बी0 प्लाऊ, जीरो टिल सीड कम फर्टीड्रिल, का प्रयोग खेत में अवश्य किया जाए अथवा क्राप रीपर, रीपर कम बाइन्डर, रेक एवं बेलर का प्रयोग कर फसल अवशेष को अन्य कार्यो जैसे- पशु चारा, कम्पोस्ट खाद बनाने, बायो कोल, बायो फ्यूल एवं सी0बी0जी0 आदि में उपयोग किये जाने हेतु प्रेरित किया जाए।

(ii) खेतों में फसल अवशेष को शीघ्रता से सड़ाने हेतु पानी भरकर यूरिया का छिड़काव भी किया जा सकता है जिससे शीघ्रता से फसल अवशेष खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

(iii) शासन के पत्र संख्या: 2014/12-2-2020-14/16 टी0सी0 दिनांक 01 नवम्बर, 2020 के क्रम में धान की पराली का इन-सीटू प्रबंधन कर कृषकों के खेत में तथा सामुदायिक तौर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पर कम्पोस्ट बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए किसान के खेत में अथवा सामुदायिक स्थलों पर उचित क्षमता वाले कम्पोस्ट खाद के गड्ढे का खुदान कराया जाना उचित होगा। कम्पोस्ट खाद के गड्ढे का खुदान पराली/नरई/पताई को उखाड़ने, उनको उठाकर लाने व गड्ढे में डालने तथा अन्य सामग्री मद का वहन शतप्रतिशत मनरेगा से किया जा सकता है। गड्ढे में पराली डालने के उपरान्त इस पर बायो डिकम्पोजर द्वारा तैयार कल्चर का छिड़काव किया जाये। यह छिड़काव गड्ढे में एकत्रित पराली पर 3-4 दिनों के अन्तराल पर कई बार किया जायेगा। इससे कम्पोस्ट खाद तैयार हो जायेगी तथा इस कम्पोस्ट खाद का प्रयोग गेहूँ की फसल लेने के दौरान खेतों में किया जा सकता है। इससे निश्चित तौर पर गेहूँ की पैदावार में वृद्धि होगी तथा रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी। सामुदायिक परियोजनाओं में ट्रैक्टर ट्राली से पराली/नरई/पताई के ढुलान का व्यय राज्य वित्त/14वॉ वित्त की धनराशि से अभिसरित करते हुए मनरेगा योजना से किया जा सकता है।

(iv) गत वर्षो में वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है जिसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। वर्ष 2020-21 में 2.66 लाख डिकम्पोजर बोतल का वितरण किसानों को किया गया था। डिकम्पोजर की एक बोतल एक एकड़ क्षेत्रफल हेतु पर्याप्त होती है। इस वर्ष प्रयास कर इस कार्यक्रम को और गति दी जाए जिससे कृषक अपने खेत में ही डिकम्पोजर का प्रयोग कर शीघ्रता से फसल अवशेषों को सड़ा सकें तथा अपने खेतों में जैविक अंश बढ़ा सकें। इससे फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं में कमी आयेगी।

8. **पराली का एक्स-सीटू प्रबन्धन-**

(i) गत वित्तीय वर्ष की भॉति कृषकों के खेत से पराली संग्रह कर निराश्रित गौशालाओं में लाने हेतु प्रेरित किया जाये।

(ii) कृषकों के खेत से पराली संग्रह करने हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था मनरेगा अथवा वित्त आयोग द्वारा की जाय।

(iii) कृषकों के खेत से गौशाला स्थल तक पराली का ढुलान पंचायतीराज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1076/33-1-2020-3003/2017, दिनांक 02 जून, 2020 के प्रस्तर-2 के अनुरूप किया जाये।

(iv) पराली में उपलब्ध सिलिका की मात्रा के दृष्टिगत गौशालाओं में चारे हेतु उपयोग में लाये जाने वाले चारे के कुल मात्रा का 25 प्रतिशत पराली चारे को मिश्रित कर किया जाय।

(v) पराली का गौशाला स्थल में पशुओं के विछावन या अन्य उपयोग में भी लाया जाय।

(vi) वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश में कम से कम एक लाख मैट्रिक टन पराली निराश्रित गौशालाओं में भेजा जाय। गौशालाओं में निराश्रित पशुओं के चारे हेतु पराली/चारा/भूसा बैंक के रूप में क्रियान्वित किया जाये।

(vii) गत वर्ष उन्नाव जनपद में सफलतापूर्वक संचालित ''पराली दो खाद लो'' कार्यक्रम का संचालन वृहद रूप से सभी जनपदों में स्थापित गौशालाओं में अनिवार्य रूप से चलाया जाये। गत वर्ष दो ट्राली पराली के बदले एक ट्राली खाद किसानों को उपलब्ध करायी गयी थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रयास किया जाए कि गौशालाओं में भण्डारित खाद का सदुपयोग इस कार्यक्रम में पूरी तरह किया जाए जिससे किसानों को खाद प्राप्त होगी, गौशालाओं में चारे पर होने वाले व्यय भार में कमी आयेगी और किसानों के खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी व फसल अवशेष प्रबंधन भली-भॉति सम्भव हो सकेगा।

9. **प्रवर्तन की कार्यवाही-**

(i) सभी को यह भी अवगत कराया जाये कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार फसल अवशेष जलाया जाना कानूनी रूप से निषिद्ध है। इसके उल्लंघन पर संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

(ii) प्रत्येक राजस्व ग्राम अथवा राजस्व ग्राम कलस्टर के लिए एक राजकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जो कि सभी के मध्य प्रचार-प्रसार करते हुए फसल अवशेष को न जलने देने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

(iii) राजस्व ग्राम के लेखपाल की जिम्मेदारी होगी कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलने की घटनायें बिल्कुल न होनें दें अन्यथा उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

(iv) समस्त थाना प्रभारियों को यथोचित समय पर निर्देश प्रसारित किया जाय कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष को जलने से रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें तथा किसी भी दशा में फसल अवशेष को न जलने दें।

(v) जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में एक सेल स्थापित करने के निर्देश पूर्व में दिये जा चुके हैं। उक्त सेल फसल की कटाई से रबी की बुवाई तक आवश्यक मानीटरिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

(vi) शासनादेश संख्या-581/35-1-2018-05, दिनांक 06.08.2018 द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के प्रवर्तन में गठित सचल दस्ते को भी फसल की कटाई के प्रारम्भ होने के पूर्व क्रियाशील कर दिया जाय। सचल दस्ते का यह दायित्व होगा कि फसल अवशेष जलने की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(vii) यह भी सुनिश्चित करें कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त व्यवस्था बगैर आपके जनपद में कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाये।

(viii) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जनपद में चलने वाली प्रत्येक कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ कृषि विभाग/ग्राम्य विकास विभाग का एक कर्मचारी नामित रहे जो कि अपनी देख-रेख में कटाई कार्य करायें। यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर या अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्रों के बगैर चलते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

हुयी पायी जाय तो उसको तत्काल सीज कर लिया जाय और कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जाय।

(ix) उक्त के अतिरिक्त गन्ना की कटाई के दौरान गन्ने की पत्तियों को जलाये जाने की घटनायें भी प्रकाश में आती हैं तो यह भी सुनिश्चित किया जाय कि गन्ने की पत्तियों को न जलने दिया जाय।

(x) इस अवधि में कूड़ा जलने की घटनाओं को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाये जायें।

(xi) सभी जिलाधिकारियों का व्यक्तिगत दायत्वि होगा कि उनके जिले में फसल अवशेष/कूड़ा जलने की कोई घटना को रोकने हेतु कार्य योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन समस्त विभागों से समन्वय कर सुनिश्चित करें। कृषि अपशिष्ट जलने की घटनायें पाये जाने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या: 31/2021/1176(1)/ 1363531/12-2099/85/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त उल्लिखित बिन्दुओं पर अपने स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा करते हुए इसकी सूचना प्रतिदिन उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, गृह, राजस्व, परिवहन, पशुपालन, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
4. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।